>

Title: Increasing number of pending cases in Supreme Court and High Courts of the Country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कदाचित आप इससे सहमत होंगे। आज देश के सभी राज्यों में आम वादकारियों को, आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कानून मंत्रालय के हिसाब से आज की तारीख में 26,16,246 मुकदमे देश के विभिन्न राज्यों की हाई कोर्ट्स में लंबित हैं। 1 जून, 2009 तक सुप्रीम कोर्ट में 50,659 मुकदमे लंबित हैं। लोअर कोर्ट्स में इसकी संख्या राज्यवार - महाराष्ट्र में 40 लाख, पश्चिम बंगाल में 24 लाख, बिहार में 14 लाख, राजस्थान में 12 लाख और दिल्ली में 11.5 लाख है। इसी तरह से हाई कोर्ट्स में यूपी में सर्वाधिक 9,11,858 मुकदमे लंबित हैं; तमिलनाडु में 4,51,496; महाराष्ट्र में 3,69,978 और पश्चिम बंगाल में 3,00,473 मुकदमे लंबित हैं।

MR. CHAIRMAN: What is your demand? What is your suggestion to the Government?

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Justice delayed is justice denied. अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर देर में न्याय नहीं मिलता है। आज हाई कोर्ट्स में भी जजेज़ के पद रिक्त हैं और इस नाते उन जजेज़ के पदों को भरा जाए, निश्चित तौर से नए पदों का सृजन किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएँ, देश में न्यायालयों में लंबित जो मुकदमे हैं, इन मुकदमों की पैन्डैन्सी जो इतनी बड़ी तादाद में लागू है, इसे समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई और नहीं हो सकता।